बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956

फैक्सः– 0612–2215611 / 2215978

ई–मेलः– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 25.09.2020

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 25.09.2020 को प्रेस नोट के माध्यम से बिहार विधान सभा के सभी 243 सीटों के लिए आम चुनाव की घोषणा कर दी गयी है।
- चुनाव के घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
- स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। उक्त उद्देश्य हेतु प्रशासनिक तंत्र की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित की जायेगी।
- चुनाव तीन चरणों में निम्नवत् कराये जायेंगे :–

चरण	मतदान की तिथि
प्रथम	28 अक्टूबर, 2020
द्वितीय	3 नवम्बर, 2020
तृतीय	7 नवम्बर, 2020

- मतगणना की तिथि 10 नवम्बर, 2020
- वह तिथि जिसके पूर्व चुनाव सम्पन्न करा लिये जायेंगे 12 नवम्बर, 2020
- कुल मतदान केन्द्रों की संख्या – 1,06,526
- निर्वाचकों की विवरणी

(a)	No. of General Elector	7,27,66,986
(b)	No. of Service Voters	1,60,410
(c)	Total No. of electors as per electoral rolls as on 23.09.2020	7,29,27,396

- निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी है। अर्हता प्राप्त कोई व्यक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन

पदाधिकारी/मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन पद्धति से भी आवेदन किया जा सकता है।

- वेबसाइट/Voter Helpline App/टॉल फ्री दूरभाष संख्या 1950 पर सम्पर्क स्थापित करते हुए निर्वाचक सूची में नाम होने एवं मतदान केन्द्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- विधि–व्यवस्था संधारण से संबंधित सभी निवारक गतिविधियाँ व्यापक रूप से की जा रही है।
- मतदान केन्द्रों की Vulnerability Mapping एवं Critical मतदान केन्द्र का निर्धारण अन्तिम चरण में है एवं इसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।
- पर्याप्त मात्रा में ई०वी०एम० उपलब्ध है। इनके प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 25 जिलों में BEL एवं शेष 13 जिलों में ECIL के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा VVPAT का उपयोग किया जायेगा।
- ई०वी०एम० एवं VVPAT से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण सभी जिलों में दिया गया है।
- निर्वाचन संचालन से संबंधित विषयों पर सभी निर्वाची पदाधिकारियों/सहायक निर्वाची पदाधिकारियों/उप निर्वाचन पदाधिकारियों/राज्य एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- चुनाव के दौरान निर्वाचन व्यय–अनुश्रवण एवं धन–बल के दुरूपयोग को रोकने हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हुए सभी जिलों द्वारा Flying Squad एवं Static Surveillance Team का गठन किया गया है।
- सभी उड़नदस्ता दल एवं स्थायी निगरानी दल मतदान की तिथि तक संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत रहेंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पर प्रसारित होने वाले Political Nature के प्रचार, Paid News पर नजर रखने तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाले प्रचार सामग्री के Pre-Certification कार्य हेतु सभी जिलों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर पर Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) का गठन किया गया है।
- सेक्टर पदाधिकारी, उड़नदस्ता दल, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती–सह–संग्रहण दल (PCCP) के वाहनों में Ele Traces एवं जी०पी०एस० उपकरण लगाये जायेंगे जिसके माध्यम से वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखा जायेगा।
- एक विस्तृत वाहन प्रबंधन व्यवस्था (सुगम) निर्मित की गयी है जिसके माध्यम से जिलों में निर्धारित समयानुसार वाहन अधिग्रहण, प्रबंधन एवं मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जायेगा।

- आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के अनुश्रवण हेतु एक Android Mobile Application (c-Vigil) निर्मित किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आम जनता के द्वारा भी ऐसे मामलों को प्रतिवेदित किया जा सकता है।

- एकल खिड़की पद्धति (Single Window System) के माध्यम से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा संबंधित अनुमंडलों में जुलूस, सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, लाउडस्पीकर, निर्वाचन प्रचार कार्यालय हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त कार्य हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं इंस्पेक्टर/सब–इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। एकल खिड़की पद्धति से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 24 घंटों के अंदर किया जायेगा। एकल खिड़की पद्धति के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की भी सुविधा दी गयी है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट पर उपलब्ध होगा। आवेदनकर्त्ता को आवेदन की पावती SMS के माध्यम से सम्प्रेषित की जायेगी। अनुमति ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है।

- उच्चतम मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु व्यापक रूप से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक जागरूकता कार्यक्रम (SVEEP) के अन्तर्गत गतिविधियाँ की जायेंगी। मतदाता जागरूकता के अन्तर्गत प्रलोभन मुक्त मतदान (Ethical Voting) पर बल दिया जायेगा।

- मूलभूत बुनियादी सुविधाएं (पीने के पानी, शौचालय, रैम्प, फर्नीचर, शेड, रोशनी) लगभग 90 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित कर दी गयी है। शेष मतदान केन्द्रों पर यह सुविधा आने वाले दिनों में सुनिश्चित कर दी जायेगी।

- प्रत्येक मतदान केन्द्र क्षेत्र में बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदान के पूर्व फोटो मतदाता पर्ची एवं वोटर गाईड निर्वाचकों को उपलब्ध करा दी जायेगी। वितरण कार्य मतदान के तिथि के पाँच दिन पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

- भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

- कोविड–19 के संदर्भ में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेश के अन्तर्गत सामाजिक दूरी (Social Distancing) एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय (Other Safety Measures) को ध्यान में रख कर सभी Protocol का अनुपालन करते हुए निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। इस निमित्त राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विधान सभा स्तरीय COVID Plan तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है।

****